आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक पटना की अध्यक्षता में गठित जिला अनुकंपा समिति, की अनुशंसा के उपरान्त बिहार पुलिस मुख्यालय में दिनांक–27.01.2025 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में पुलिस मुख्यालय का आदेश सह–पत्र सं0–498/कल्याण दिनांक–28.02.2025 द्वारा सिंकी कुमारी पति– स्व0 रश्मि रंजन, पु0अ0नि0 पटना जिलाबल को बिहार पुलिस लिपिकीय संवर्ग अर्न्तगत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पी0 बी0–1, वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे–1900 (पुनरीक्षित पे लेवल–2) में अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अनुकंपा के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु जहानाबाद जिला आवंटित किया गया था।

उक्त के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद का कार्यालय पत्रांक–357/ले0शा0, दिनांक–25.03.2025 द्वारा जहानाबाद जिलाबल में लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं रहने के कारण सिंकी कुमारी के योगदान के संदर्भ में मार्गदर्शन की माँग की गई है।

अतः उक्त के आलोक में जहानाबाद जिलाबल में लिपिक का पद रिक्त नहीं रहने के कारण सिंकी कुमारी को नियुक्ति हेतु आवंटित जहानाबाद जिला को रदद् करते हुए निम्न शर्तो के साथ उनके नाम के सामने अंकित कंडिका–9 में अंकित जिलाबल में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पी0 बी0–1, वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे–1900 (पुनरीक्षित पे लेवल–2) में अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अनुकंपा के आधार अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना–2005 के अधीन होगा।
3. संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर उन्हे आवंटित कार्यालय में योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
4. पदभार ग्रहण के लिए इन्हे किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान के समय अभ्यर्थी द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ प्रमाण–पत्र (मूल में), दहेज नहीं लेने एंव नहीं देने संबंधी घोषणा–पत्र, आधार–कार्ड प्रति एंव दो फोटो समर्पित किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत, इस आशय का शपथ–पत्र भी समर्पित किया जाएगा कि उनके द्वारा दिये गये सभी प्रमाण–पत्र सत्य है और यदि भविष्य में यह असत्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी, जो उन्हे मान्य होगा।
6. नियुक्त कर्मी पर मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। इसमें किसी प्रकार की अवहेलना होती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण–पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। योगदान के समय अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का घोषणा–पत्र विहित–प्रपत्र में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त कंडिका–1 से 6 में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

क्र0 सं0	नियुक्ति कर्मी का नाम/कोटि	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	शैक्षिणीक योग्यता	पता	गृह जिला	पूर्व आवंटित कार्यालय	वर्त्तमान आवंटित कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंकी कुमारी /अनारक्षित	स्व0 रश्मि रंजन	05.01.1990	स्नातकोत्तर	ग्राम–श्री कृष्ण नगर अहरी पो0–औरंगाबाद, थाना–टाउन, जिला–औरंगाबाद	औरंगाबाद	जहानाबाद	नवादा

पूर्व से निर्गत पुलिस मुख्यालय का आदेश सह–पत्र सं0–498/कल्याण, दिनांक–28.02.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

2/5/25

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।

पत्र संख्याः—कल्याण—01—01—50—2024/1027

बिहार पुलिस मुख्यालय

(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

पटना, दिनांक :— 05/05/2025

प्रतिलिपिः—

1. **अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)**, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. **पुलिस उप—महानिरीक्षक (कार्मिक)**, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. **पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)**, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. **वरीय पुलिस अधीक्षक**, पटना/पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

   —अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित आवेदिका का आपके कार्यालय में रक्षित सभी मूल अथवा अन्य कागजात उन्हें आवंटित कार्यालय को अविलम्ब भेज दिया जाय।
5. **पुलिस अधीक्षक**, नवादा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. कोषागार पदाधिकारी, नवादा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पी0—01 को सूचनार्थ प्रेषित।
8. आवेदिका सिंकी कुमारी को सूचनार्थ प्रेषित।
9. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2/5/25

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),

Rohit बिहार, पटना